Continuation Note Sheet

25-9-24 वादी एवं वकील, वादी अनुपस्थित। वादी द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहा एवं प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया गया। वादी का निवेदन एवं प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हुए प्रकरण को खारिज किया जाता है। प्रकरण खारिज होने के बाद तामील जाबता खारिज अभिलेखागार रहे।

वादी उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही आगे नहीं करना चाहता

Not press

Identified by Adv Rajesh

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2024.10.25 17:57:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner